प्रेस विज्ञप्ति

20-02-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17.02.2026 को मेसर्स रुचि ग्लोबल लिमिटेड (अब मेसर्स एग्रोट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) के मामले में 5.13 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह संपत्ति श्रीमती नीता शाहरा पत्नी उमेश शाहरा के नाम पर भूमि के रूप में है।

ईडी ने सीबीआई, एसी-IV, व्यापम, भोपाल द्वारा मेसर्स रुचि ग्लोबल लिमिटेड (अब मेसर्स एग्रोट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(डी) तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी के साथ धारा 420 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोप है कि कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा (पूर्ववर्ती देना बैंक) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को कथित तौर पर धोखा दिया, जिससे 188.35 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान हुआ।कंपनी ने बेईमानी से अपने समूह की कंपनियों में निवेश के माध्यम से और अपनी सहयोगी और समूह की कंपनियों को ऋण और अग्रिम प्रदान करके धन का गबन और हेराफेरी की।

ईडी की जांच से पता चला कि जाली, मनगढ़ंत और हेरफेर किए गए दस्तावेजों के आधार पर, बिना किसी वास्तविक लेन-देन के, बेईमानी से ऋण सुविधाएं और साख पत्र प्राप्त किए गए थे। इनसे प्राप्त धनराशि को जानबूझकर एक ही स्वामित्व और नियंत्रण वाली परस्पर जुड़ी संस्थाओं के जटिल जाल के माध्यम से, कई स्तरों में बांटकर, वापस उधारकर्ता कंपनी को भेज दिया गया था। अवैध रूप से निकाली गई धनराशि को व्यवस्थित रूप से कई स्तरों में बांटा गया और बाद में विभिन्न संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर ने दिसंबर 2025 में उमेश शाहरा और अन्य के परिसरों पर इस मामले में तलाशी ली थी।

आगे की जांच जारी है।